

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263, OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of पंकज शर्मा ज.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक / 2017

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

Name and address of the complainant मोप्रो शासन द्वारा पुलिस थाना जिला
प्रशासन भिण्ड मोप्रो

name, parentage, caste and address of accused

- ① मिश्र नाम गो. बालकृष्ण गो. बालकृष्ण
- ② मिश्र नाम गो. बालकृष्ण गो. बालकृष्ण
- ③ मिश्र नाम गो. बालकृष्ण गो. बालकृष्ण
- ④ मिश्र नाम गो. बालकृष्ण गो. बालकृष्ण

The offence complained of, and date of its alleged commission


आपने दिनांक 12.1.18 को 16.30 बजे से 16.30 बजे के मध्य स्थान
मि. मिश्र में ताश के पत्तों से रुपयों पैसों की हारजीत का
दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध
किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।


पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक:- स्वयं स्वीकार है।

मि. मिश्र


मि. मिश्र


मि. मिश्र


मि. मिश्र

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e),
clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of
the property in respect of which the offence has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक 15.1.18 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।

2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दबाव व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रुपये 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 5.5 दिवस का साधारण कारावास भुगताना जावे।

4. प्रकरण में जप्तशुदा रुपये 12801- रुपये राजसात किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो। जमान की राशि 12801 की जाए स्थान-भिण्ड

दिनांक- 15.1.18

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

15/01/18

पंकज शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

15/01/18

पंकज शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)